

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] No. 454] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ ज्येष्ठ 15, 1939 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/ JYAISTHA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

सा.का.िन. 553(अ).— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशासिनक अधिकारी (भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण) भर्ती नियम, 1975, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में प्रशासिनक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

3552 GI/2017

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणी, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	1 (2017)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		स्तर - 10. रु. 56,100– 1,77,500/-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा (11)	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (12)	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
लागू नहीं होता	2 (दो) वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे किनष्ठ प्रशासिनक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस स्तर में 3 वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):- (क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य- अध्यक्ष; (ख) संयुक्त सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- सदस्य; (ग) विभाग के प्रमुख, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
			दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. 02/03/2013-सीएसजेड]

अनिल संत, संयुक्त सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण-II)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

- **G.S.R. 553(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Administrative Officer (Zoological Survey of India) Recruitment Rules, 1975, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:—
- **1. Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Administrative Officer Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of said post, its classification, level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.**—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrative Officer.	01* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level 10. Rs. 56,100- 1,77,500/-	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption Level in the Pay Matrix from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making			
deputation or absorption to be made		recruitment			
(11)	(12)	(13)			
Junior Administrative Officer in level 7 of	Group 'A' Departmental Promotion	Consultation with Union Public Service			
Pay Matrix with three years' service in the	Committee (for considering Promotion):	Commission is necessary.			
level rendered after appointment thereto	(i) Chairman or Member of the Union				
on regular basis.	Public Service Commission,				
	–Chairman.				
Note	(ii) Joint Secretary (Administration),				
Where juniors who have completed their	Ministry of Environment, Forest &				
qualifying or eligibility service are being	Climate Change – Member .				
considered for promotion, their seniors	(iii) Head of Department, Zoological				
would also be considered provided they	Survey of India – Member.				
are not short of the requisite qualifying or					
eligibility service by more than half of					
such qualifying or eligibility service or					
two years, whichever is less, and have					
successfully completed their probation					
period for promotion to the next higher					
grade along with their juniors who have					
already completed such qualifying or					
eligibility service.					

[F. No. 02/03/2013-CSZ]

ANIL SANT, Jt. Secy. (Conservation and Survey-II)